निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्र० एफ 1 (50)पी.एस/निकाशि/2012/ 178 दिनांक 18-5-12

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रथम),
माध्यमिक शिक्षा विभाग
भीलवाड़ा, राजस्थान

विषयः—राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छया शिक्षा सेवा नियम—2010 के अन्तर्गत अधिशेष कर्मचारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित विद्यालयों में पदस्थापित करने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि राजस्थान ग्रामीण स्वेच्छया शिक्षा सेवा नियम—2010 के अन्तर्गत राजस्थान के 70 अनुदानित महाविद्यालयों में कार्यरत 751 अशैक्षणिक कर्मचारियों को विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ1 (43)/पी. एस/ निकाशि/2011/ 289 दिनांक 1.08.2011 एवं आदेश क्रमांक एफ1 (43)/पी. एस/निकाशि/2011/ 325 दिनांक 16.08.2011 के द्वारा तथा अनुदानित कृषि महाविद्यालयों में कार्यरत 137 अशैक्षणिक कर्मचारियों को कृषि निदेशालय, राजस्थान द्वारा की गयी स्क्रीनिंग समिति की बैठक दिनांक 08/12/11 की अनुशंसा के आधार पर राज्य सेवा में समायोजित किये जाने के योग्य पाये जाने पर इस विभाग के विभिन्न संबधित क्षेत्रीय कार्यालयों में उपस्थित देने हेतु निर्देशित किया गया था।

अनुदानित संस्थाओं के समायोजित अराजपत्रित कर्मचारियों के पदस्थापन के सम्बन्ध में कार्मिक (क—2) विभाग, राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ5(2)डी.ओ.पी./क— II/2010 दिनॉक 01.02.2012 का अवलोकन करें, जिसके अनुसार गैर—अध्यापन कर्मचारियों के मामले में जिन्हें महाविद्यालय शिक्षा अनुभाग में गैर—अध्यापन पदों पर नियुक्ति के लिए स्क्रीनिंग किया गया हो और ग्रामीण क्षत्रों में पदस्थापन के लिए पद उपलब्ध नहीं हो तो ऐसे व्यक्ति को ग्रामीण क्षेत्रों के किसी तत्समान पद पर इन नियमों द्वारा शासित किसी भी अन्य विभाग में नियुक्त किया जायेगा। ऐसा व्यक्ति निदेशालय महाविद्यालय शिक्षा में कार्य ग्रहण करने की तारीख से नये विभाग में नियुक्त हुआ समझा जावेगा। **(प्रति संलग्न)**

अनुदानित कृषि महाविद्यालयों के 137 कर्मचारियों में से 2 कर्मचारी माह फरवरी, 2012 तक सेवानिवृत हो गये एवं 1 कर्मचारी की मृत्यु हो जाने के कारण शेष रहे 134 कर्मचारियों में से 2 कर्मचारियों को इस विभाग के ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित महाविद्यालय में समकक्ष पद पर पदस्थापित किये जाने के पश्चात् शेष 132 कार्मिकों को ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित राजकीय महाविद्यालयों में समकक्ष रिक्त पद उपलब्ध नहीं होने के कारण पदस्थापित नहीं किया जा सकता हैं।

अनुदानित महाविद्यालयों के 751 कर्मचारियों में से 5 कर्मचारियों ने विभाग में अपनी उपस्थिति नहीं दी व 27 कर्मचारी माह मई, 2012 तक सेवानिवृत हो गये / हो जायेगे एवं 2 कर्मचारी की मृत्यु हो जाने के कारण शेष रहे 717 कर्मचारियों में से 103 कर्मचारियों को निदेशालय, कॉलेज शिक्षा विभाग के ग्रामीण महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर पदस्थापित किया जा रहा हैं। चार शोध सहायक एवं एक प्रसार व्यवस्थापक के पद सृजन संबधी कार्यवाही निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रक्रियाधीन हैं। एक प्र. शा. सहायक व तीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीयों को राज्यादेशानुसार राजकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालय, नीमराना में पदस्थापन के उपरान्त शेष 605 कर्मचारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित राजकीय महाविद्यालयों में समकक्ष रिक्त पद उपलब्ध नहीं होने के कारण पदस्थापित नहीं किया जा सकता हैं।

कॉलेज शिक्षा विभाग के ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित राजकीय महाविद्यालयों में समकक्ष पद रिक्त नहीं होने के कारण अनुदानित महाविद्यालयों के 4 कर्मचारियों को दिनांक 14/05/12 को प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिये गये निर्णयानुसार (प्रति संलग्न) शिक्षा विभाग में पदस्थापित किये जाने हेतु इस पत्र के साथ कर्मचारियों की पदवार एवं जिलेवार सूची संलग्न कर कर्मचारियों को सूची अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपस्थिति देने हेतु भिजवाया जा रहा हैं। इन कर्मचारियों को उनके सम्मुख अंकित गृह जिलों में नियमानुसार पदस्थापित करने का श्रम करें।

(सुबीर कुमार)
निदेशक
कॉलेज शिक्षा,राज0,जयपुर

क्र॰ एफ 1 (50)पी.एस/निकाशि/2012/ 178 दिनांक 18-5-12

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर को दिनांक 14/05/12 को आयोजित बैठक के संदर्भ में।
7. शासन उपसचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. मुख्य लेखाधिकारी/उप विधि परामर्शी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. संयुक्त निदेशक (स्थापना/अनुदान/ कार्मिक/ अकादमी), कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
11. आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
12. आयुक्त, प्राथमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
13. संबधित सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान को भेज कर लेख हैं कि संलग्न सूची में अंकित अनुदानित महाविद्यालय के कर्मचारी जो की आपके कार्यालय/आपके संभाग स्थित राजकीय महाविद्यालयों में उपस्थिति दे रहें हैं को अविलम्ब संबधित जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित कर पालना रिपोर्ट से इस कार्यालय को अवगत करावें।
14. प्राचार्य, समस्त राजकीय महाविद्यालय संलग्न सूची में अंकित अनुदानित महाविद्यालयों के कर्मचारी जो आपके महाविद्यालय में उपस्थिति दे रहें हैं को अविलम्ब संबधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित कर पालना रिपोर्ट संबधित सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान को भिजवायें।
15. संस्थापन/ कम्प्यूटर/गोपनीय/ कार्मिक शाखा/ नोड़ल आफिसर, विभागीय वेबसाईट।
16. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
कॉलेज शिक्षा,राज0,जयपुर

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रथम), माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, भीलवाड़ा के कार्यालय में उपस्थिति देने वाले अनुदानित महाविद्यालयों के कार्मिकों की सूची

S. No.	प्र.सं.	आवेदक का नाम व पिता/पति का नाम	वर्तमान पद	जन्म तिथि	महाविद्यालय का नाम	DISTRICT	निदेशालय, कॉलेज शिक्षा में उपस्थिति दिनांक
1	106	प्रमोद कुमार राठौड़ पुत्र श्री मथुरासिंह राठौड़	क. लि.	01-07-75	आचार्य श्रीतुलसी अमृत महाविद्यालय, गंगापुर (भीलवाड़ा) (10)	BHILWARA	2/8/11
2	107	कैलाश चन्द सैन पुत्र श्री बद्रीलाल सैन	च.श्रे.क.	12-06-66	आचार्य श्रीतुलसी अमृत महाविद्यालय, गंगापुर (भीलवाड़ा) (10)	BHILWARA	2/8/11
3	109	प्रभूलाल माली पुत्र श्री मांगीलाल माली	चौकीदार	05-12-65	आचार्य श्रीतुलसी अमृत महाविद्यालय, गंगापुर (भीलवाड़ा) (10)	BHILWARA	2/8/11
4	110	हीरालाल गाडरी पुत्र श्री किशनलाल गाडरी	फर्राश	01-07-70	आचार्य श्रीतुलसी अमृत महाविद्यालय, गंगापुर (भीलवाड़ा) (10)	BHILWARA	2/8/11

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
कॉलेज शिक्षा,राज0,जयपुर